न्यायालय–शिव प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0)

//रिमाण्ड आदेश//

क्रमांक क्यू./मु0न्या0मजि0/2025 जगदलपुर दिनांक–30/09/2025

मैं **शिव प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर, स्थान–जगदलपुर छ.ग.** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्द्वारा आदेश जारी करता हूं कि जिला बस्तर जगदलपुर छ.ग. में पदस्थ कंडिका 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कंडिका 03 में उल्लेखित **माह– अक्टूबर 2025** के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित दोपहर 3:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगें।

माह– अक्टूबर 2025

क्रं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड कार्य दिनांक
01	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक– 02/10/2025, 03/10/2025 एवं दिनांक 11/10/2025, 12/10/2025
02	श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक– 04/10/2025 एवं दिनांक 05/10/2025
03	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक– 18/10/2025, 19/10/2025, एवं दिनांक 26/10/2025
04	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक– 20/10/2025, 21/10/2025 एवं दिनांक 22/10/2025

नोट :–

01. यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेगें।

02. उक्त घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य तिथियों पर अवकाश घोषित होने पर **माह–अक्टूबर 2025** में श्री राहुल शराफ, श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ, कुमारी नीति एवं श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0) द्वारा आपसी सहमति से रिमाण्ड कार्य संपादित किया जायेगा।

टीपः– रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त दिवसों में मालखाने का संपत्ति नष्टीकरण तथा आवश्यक होने पर प्रोटोकॉल देखने का कार्य भी निष्पादन किया जावेगा।

दिनांक–30.09.2025
स्थान–जगदलपुर

(शिव प्रकाश त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर, स्थान जगदलपुर

प्रतिलिपिः—

01— प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
02— कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्तर स्थान जगदलपुर को सूचनार्थ।
03— श्री राहुल शराफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04— श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05— कुमारी नीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06— श्रीमति निहारिका तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ ।
08— प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर स्थान जगदलपुर ।
09— नजारत विभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10— जिला अभियोजन अधिकारी, जिला बस्तर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ कि रिमाण्ड ड्यूटी के दिन किसी एक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी लगावें।
11— पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र/चौकी को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
12— रक्षित निरीक्षक, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ तथा न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मोहर्रिर को रिमाण्ड ड्यूटी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखने सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13— जिला न्यायालय जगदलपुर के बेब साईड पर अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(शिव प्रकाश त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर, स्थान जगदलपुर